दैनिक भास्कर जोधपुर 10-10-2026

बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन से एमओयू

एनएलयू में अब बाल संरक्षण, डिजिटल सुरक्षा व मानवाधिकारों के कोर्स भी होंगे

सिटी रिपोर्टर | जोधपुर

बच्चों को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रखने और बाल संरक्षण से जुड़े कानूनी व नीतिगत मुद्दों पर काम करने के लिए एनएलयू ने पहल की है।

विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली की संस्था इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन के साथ शोध, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए समझौता किया है। एमओयू के जरिए संयुक्त शोध, प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, विशेषज्ञ प्रशिक्षण और स्टूडेंट्स के लिए फील्ड आधारित अध्ययन के अवसर विकसित किए जाएंगे। कुलगुरु प्रो. हरप्रीत कौर और इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन के ट्रस्टी रजत कुमार ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की रिसर्च डायरेक्टर प्रो. शिलोहू राव मौजूद रहीं। एमओयू के तहत कानून प्रवर्तन एजेंसियों, विधिक पेशेवरों, शिक्षकों और नागरिक समाज संगठनों के लिए प्रशिक्षण व ज्ञान विनिमय कार्यक्रम विकसित होंगे। दोनों संस्थान संयुक्त शोध अध्ययन, प्रकाशन, अकादमिक सामग्री और नीति उन्मुख संसाधन तैयार करने के साथ सेमिनार, कार्यशालाएं, सम्मेलन और व्याख्यान भी आयोजित करेंगे।

सर्टिफिकेट कोर्सेज चलाए जाएंगे, रिसर्च भी होगी



समझौते के तहत नवंबर-2026 में डिजिटल सेफ्टी एंड चाइल्ड ऑनलाइन रिड्रेसल सैंडबॉक्स फॉर रेगुलेटर्स, पॉलिसी मेकर्स एंड रिसर्चर्स विषय पर दो से तीन दिवसीय सर्टिफिकेट कार्यक्रम होंगे। इसमें डिजिटल वातावरण में बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी नीतिगत और शोध संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में वैश्विक विशेषज्ञों की विशेषज्ञता और संसाधनों का उपयोग किया जाएगा।

बाल संरक्षण, डिजिटल सुरक्षा एवं मानवाधिकारों के क्षेत्र में एनएलयू जोधपुर और इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन की साझेदारी

एनएलयू जोधपुर और इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन के बीच शोध, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए समझौता

(खबर चक्र)

जोधपुर। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (ह्स्छ्) ने बाल संरक्षण एवं डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में संस्थागत सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से 5 अक्टूबर 2026 को इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन, नई दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन (ख्ब्) पर हस्ताक्षर किए। समझौते पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर की कुलगुरु प्रो. (डॉ.) हरप्रीत कौर और इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन के ट्रस्टी श्री रजत कुमार ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर प्रो. (डॉ.) शिलोहू राव, रिसर्च डायरेक्टर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (ष्टश्वक्र), एनएलयू जोधपुर उपस्थित रहीं।

इस समझौता ज्ञापन के तहत राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर और इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन अकादमिक एवं व्यावसायिक विकास के क्षेत्र में सहयोग के विभिन्न अवसर तलाशेंगे। इसके अंतर्गत सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अन्य क्षमता-विकास पहलों का आयोजन किया जाएगा। दोनों संस्थान संयुक्त शोध अध्ययन, प्रकाशन, ज्ञान संसाधनों तथा अकादमिक एवं नीति-उन्मुख सामग्री के विकास को भी प्रोत्साहित करेंगे।



समझौते के तहत कानून प्रवर्तन एजेंसियों, विधिक पेशेवरों, शिक्षकों तथा नागरिक समाज संगठनों के लिए क्षमता-विकास और ज्ञान-विनिमय के अवसर भी विकसित किए जाएंगे। विद्यार्थियों की सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए इंटर्नशिप, फील्ड-बेस्ड लर्निंग तथा आउटरीच गतिविधियों के अवसर उपलब्ध कराने पर भी सहयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सेमिनार, कार्यशालाएं, सम्मेलन, व्याख्यान तथा अन्य ज्ञान-विनिमय गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी।

प्रस्तावित सहयोग के तहत नवंबर 2026 में 'डिजिटल सेफ्टी एंड चाइल्ड ऑनलाइन रिड्रेसल सैंडबॉक्स फॉर रेगुलेटर्स, पॉलिसीमेकर्स एंड रिसर्चर्स' विषय पर दो से तीन दिवसीय सर्टिफिकेट कार्यक्रम आयोजित किए जाने की योजना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नियामकों, नीति-निर्माताओं और शोधकर्ताओं को डिजिटल सुरक्षा एवं बाल संरक्षण से जुड़े समकालीन मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है। कार्यक्रम में वैश्विक विशेषज्ञों की विशेषज्ञता एवं संसाधनों का लाभ लेते हुए डिजिटल वातावरण में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े नियामकीय, नीतिगत एवं शोध संबंधी चुनौतियों पर संवाद को बढ़ावा दिया जाएगा। कार्यक्रम की अंतिम तिथियां, विस्तृत कार्यक्रम, विशेषज्ञ वक्ताओं एवं प्रतिभागियों से संबंधित जानकारी शीघ्र घोषित की जाएगी।

यह समझौता ज्ञापन राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर और इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन के बीच बाल संरक्षण एवं मानवाधिकारों के क्षेत्र में संस्थागत सहयोग को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह साझेदारी शोध-आधारित पहलों, अकादमिक सहभागिता और नीति संवाद के लिए नए अवसर सृजित करने में सहायक होगी।

बाल संरक्षण के लिए शोध, प्रशिक्षण और सर्टिफिकेट कोर्स पर एनएलयू जोधपुर और सी-लैब में समझौता

आम सभा, नई दिल्ली। बाल संरक्षण, बाल अधिकार और डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में शोध, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर (एनएलयूजे) और इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन (आईसीपी) के सेंटर फॉर लीगल एक्शन एंड बिहेवियर चेंज फॉर चिल्ड्रेन (सी-लैब) ने संस्थागत सहयोग के लिए समझौता किया है। इसके तहत सर्टिफिकेट कोर्स, शोध अध्ययन, प्रकाशन, प्रशिक्षण और विभिन्न हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण से जुड़ी गतिविधियां संचालित की जाएंगी।

समझौते का उद्देश्य कानून, तकनीक और समाज के बीच बढ़ती परस्पर निर्भरता के दौर में बाल संरक्षण और मानवाधिकार से जुड़े विषयों पर ज्ञान का विकास करना तथा अंतरविषयक शिक्षा एवं शोध को बढ़ावा देना है। इसके लिए दोनों संस्थान मिलकर अकादमिक और पेशेवर सर्टिफिकेट कोर्स, प्रशिक्षण कार्यक्रम, शोध अध्ययन, ज्ञान संसाधन और नीतिगत सामग्री विकसित करेंगे। सहयोग के तहत



कानून प्रवर्तन एजेंसियों, कानूनी पेशेवरों, शिक्षकों और नागरिक समाज संगठनों के लिए क्षमता निर्माण एवं ज्ञान के आदान-प्रदान पर भी काम किया जाएगा। छात्रों को इंटर्नशिप, फील्ड आधारित अध्ययन और आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव उपलब्ध कराने की योजना है। इसके अलावा सेमिनार, कार्यशाला, सम्मेलन और व्याख्यान जैसी अकादमिक गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी।

दोनों संस्थान संयुक्त शोध प्रस्ताव और प्रकाशन तैयार करने, विषय आधारित कार्य समूह गठित करने तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों और कार्यशालाओं में सहयोग करेंगे। कानून, तकनीक, बाल सुरक्षा और मानवाधिकार से संबंधित ज्ञान भंडार और डिजिटल लाइब्रेरी विकसित करने की दिशा में भी काम किया जाएगा। समझौते पर नई दिल्ली में एनएलयू जोधपुर की कुलपति प्रो. (डॉ.) हरप्रीत कौर और इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन के ट्रस्टी रजत कुमार ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर प्रो. (डॉ.) हरप्रीत कौर ने कहा कि संस्थान सामाजिक जिम्मेदारी के तहत कमजोर और जरूरतमंद वर्गों से जुड़े मुद्दों को समझने और उनके समाधान में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने राजस्थान में बाल विवाह और कम साक्षरता दर जैसी चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि बच्चों के संरक्षण के क्षेत्र में भी संस्थान सहयोग, प्रशिक्षण और शोध सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में काम करेगा।

वर्गीय कर्मचारी श्री दिनाभाना ने दी तथा साहब | सरकार का श्रेय ब्राह्मणों को दिया जाने लगा फिर | ब्राह्मणवाद का पार्टी पर दूसरा हमला था ! मान्यवर | मनुवाद से संघर्ष क

बाल संरक्षण के क्षेत्र में सर्टिफिकेट कोर्स और शोध के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर और सी-लैब ने मिलाया हाथ

टाउनहॉल टाइम्स न्यूज नेटवर्क।

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर (एनएलयूजे) और इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन (आईसीपी) के सेंटर फॉर लीगल एक्शन एंड बिहेवियर चेंज फॉर चिल्ड्रेन (सी-लैब) ने बाल संरक्षण के क्षेत्र में शोध, सर्टिफिकेट कोर्स और क्षमता निर्माण से जुड़ी पहल करने के लिए हाथ मिलाया है। इस सहयोग के दायरे में डिजिटल सुरक्षा, बाल अधिकार और मानवाधिकार समेत बाल संरक्षण से जुड़े विभिन्न विषय शामिल हैं।

21वीं सदी में कानून, तकनीक और समाज के बीच बढ़ती परस्पर निर्भरता को देखते हुए तथा बाल सुरक्षा और मानवाधिकार के क्षेत्र में मजबूत ज्ञान आधार, बेहतर अंतरविषयक शिक्षा एवं शोध और क्षमता निर्माण की आवश्यकता को समझते हुए, एनएलयू जोधपुर और सी-लैब ने इन क्षेत्रों में शोध, ज्ञान के विकास और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक संस्थागत सहयोग ढांचा तैयार करने पर सहमति जताई है।

इस समझौते के तहत सहयोग के पांच प्रमुख क्षेत्र तय किए गए हैं। पहला, अकादमिक और पेशेवर सर्टिफिकेट कोर्स तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। दूसरा, शोध अध्ययन, प्रकाशन, ज्ञान संसाधन और अकादमिक या नीतिगत दृष्टि से उपयोगी अन्य सामग्री



तैयार करना। तीसरा, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, कानूनी पेशेवरों, शिक्षकों और नागरिक समाज संगठनों जैसे विभिन्न हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण और ज्ञान के आदान-प्रदान पर काम करना। चौथा, छात्रों की भागीदारी और उन्हें व्यावहारिक अनुभव के जरिए सीखने के अवसर उपलब्ध कराना है, जिसमें इंटर्नशिप, फील्ड आधारित लर्निंग और आउटरीच गतिविधियां शामिल हैं। पांचवां, सेमिनार, कार्यशालाएं, सम्मेलन, व्याख्यान और ज्ञान के आदान-प्रदान से जुड़ी अन्य अकादमिक गतिविधियां आयोजित करना है।

इसके अलावा, एनएलयू जोधपुर और सी-लैब संयुक्त शोध प्रस्तावों और प्रकाशनों, विषय आधारित कार्य समूह बनाना, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, कार्यशालाओं और सेमिनारों तथा कानून, तकनीक, बाल सुरक्षा और मानवाधिकार से जुड़े ज्ञान भंडार और डिजिटल लाइब्रेरी विकसित करने के लिए भी सहयोग करेंगे। इस समझौते पर नई दिल्ली में एनएलयू जोधपुर की कुलपति प्रो. (डॉ.) हरप्रीत कौर और इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन के ट्रस्टी रजत कुमार ने हस्ताक्षर किए।

इस अवसर पर एनएलयू जोधपुर की कुलपति प्रो. (डॉ.) हरप्रीत कौर ने कहा, सरकार के निर्देश के तहत हमने राजस्थान के एक गांव को गोद लिया और वहां महिला अधिकारों से जुड़े मुद्दों को समझने और उन पर काम करने क फैसला किया। हम कमजोर और असहा महिलाओं और बुजुर्गों की देखभाल कर हैं, लेकिन इसके साथ ही हम बच्चों क भी देखभाल करेंगे। राजस्थान में बाल विवाह एक बड़ी समस्या है और यह साक्षरता दर भी काफी कम है। उन्हों कहा, हम संस्थान की सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए प्रतिब हैं। इसलिए हमने उन कमजोर वर्गों क समस्याओं को समझने की कोशिश कि जिन्हें सहयोग की जरूरत है और जह एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में ह मिलकर सहायता, प्रशिक्षण या शो सामग्री उपलब्ध करा सकते हैं।

सेंटर फॉर लीगल एक्शन एंड बिहेवियर चेंज फॉर चिल्ड्रेन (सी-लैब) की प्रमुख प्रियंका ऋषु ने कहा, एनएलयू जोधपु जिस तरह का काम कर रहा है, वह इ समझौते के उद्देश्यों से पूरी तरह मेल खात है। यह समझौता अकादमिक गतिविधियो क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण तथा शोध क शामिल करता है। खासकर बाल संरक्षण मानवाधिकार और न्याय की अवधारण से जुड़े व्यापक दृष्टिकोण के संदर्भ मे हमने जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनाई है, उनमें बच्चों की ऑनलाइ सुरक्षा और डिजिटल दुनिया में बच्चों क सुरक्षा को लेकर तेजी से विकसित हो रह बहस भी शामिल है।

बाल संरक्षण के लिए एनएलयू जोधपुर और सी-लैब में समझौता

- डिजिटल सुरक्षा पर भी होगा विशेष फोकस



नई दिल्ली, लोकसत्य। बाल संरक्षण, बाल अधिकार और मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर (एनएलयूजे) और इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन (आईसीपी) के सेंटर फॉर लीगल एक्शन एंड बिहेवियर चेंज फॉर चिल्ड्रेन (सी-लैब) ने हाथ मिलाया है। दोनों संस्थानों के बीच हुए समझौते के तहत डिजिटल सुरक्षा समेत बच्चों से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर अकादमिक और व्यावहारिक स्तर पर काम किया जाएगा।

समझौते के तहत अकादमिक और पेशेवर सर्टिफिकेट कोर्स, प्रशिक्षण कार्यक्रम, शोध अध्ययन, प्रकाशन तथा ज्ञान संसाधन विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा कानून प्रवर्तन एजेंसियों, कानूनी पेशेवरों, शिक्षकों और नागरिक समाज संगठनों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। छात्रों को इंटर्नशिप, फील्ड आधारित लर्निंग और आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जाएगा।

एनएलयू जोधपुर और सी-लैब संयुक्त शोध प्रस्ताव, प्रकाशन और विषय आधारित कार्य समूह तैयार करने के साथ राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार, सम्मेलन और कार्यशालाएं आयोजित करेंगे।

Delhi 08-10-2026
http://epaper.loksatya.com/
राष्ट्रीय हिंदी दैनिक लोकसत्य

बाल संरक्षण के क्षेत्र में सर्टिफिकेट कोर्स और शोध के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर और सी-लैब ने मिलाया हाथ

राजेश डंडरियाल राष्ट्रीय संपादक :कानूनी जंग

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर (एनएलयूजे) और इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन (आईसीपी) के सेंटर फॉर लीगल एक्शन एंड बिहेवियर चेंज फॉर चिल्ड्रेन (सी-लैब) ने बाल संरक्षण के क्षेत्र में शोध, सर्टिफिकेट कोर्स और क्षमता निर्माण से जुड़ी पहल करने के लिए हाथ मिलाया है। इस सहयोग के दायरे में डिजिटल सुरक्षा, बाल अधिकार और मानवाधिकार समेत बाल संरक्षण से जुड़े विभिन्न विषय शामिल हैं।

21वीं सदी में कानून, तकनीक और समाज के बीच बढ़ती परस्पर निर्भरता को देखते हुए तथा बाल सुरक्षा और मानवाधिकार के क्षेत्र में मजबूत ज्ञान आधार, बेहतर अंतरविषयक शिक्षा एवं शोध और क्षमता निर्माण की आवश्यकता को समझते हुए, एनएलयू जोधपुर और सी-लैब ने इन क्षेत्रों में शोध, ज्ञान के विकास और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक संस्थागत सहयोग ढांचा तैयार करने पर सहमति जताई है।

इस समझौते के तहत सहयोग के पांच प्रमुख क्षेत्र तय किए गए हैं। पहला, अकादमिक और पेशेवर सर्टिफिकेट कोर्स तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। दूसरा, शोध अध्ययन, प्रकाशन, ज्ञान संसाधन और अकादमिक या नीतिगत दृष्टि से उपयोगी अन्य सामग्री तैयार करना। तीसरा, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, कानूनी पेशेवरों, शिक्षकों और नागरिक समाज संगठनों जैसे विभिन्न हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण और ज्ञान के आदान-प्रदान पर काम करना। चौथा, छात्रों की भागीदारी और उन्हें व्यावहारिक अनुभव के जरिए सीखने के अवसर उपलब्ध कराना है, जिसमें इंटर्नशिप, फील्ड आधारित लर्निंग और आउटरीच गतिविधियां शामिल हैं। पांचवां, सेमिनार, कार्यशालाएं, सम्मेलन, व्याख्यान और ज्ञान के आदान-प्रदान से जुड़ी अन्य अकादमिक गतिविधियां आयोजित करना है।

इसके अलावा, एनएलयू जोधपुर और सी-लैब संयुक्त शोध प्रस्तावों और प्रकाशनों, विषय आधारित कार्य समूह बनाना, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, कार्यशालाओं और सेमिनारों तथा कानून, तकनीक, बाल सुरक्षा और मानवाधिकार से जुड़े ज्ञान भंडार और डिजिटल लाइब्रेरी विकसित करने के लिए भी सहयोग करेंगे। इस समझौते पर नई दिल्ली में एनएलयू जोधपुर की कुलपति प्रो. (डॉ.) हरप्रीत कौर और इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन के ट्रस्टी रजत कुमार ने हस्ताक्षर किए।



इस अवसर पर एनएलयू जोधपुर की कुलपति प्रो. (डॉ.) हरप्रीत कौर ने कहा, 'सरकार के निर्देश के तहत हमने राजस्थान के एक गांव को गोद लिया और वहां महिला अधिकारों से जुड़े मुद्दों को समझने और उन पर काम करने का फैसला किया। हम कमजोर और असहाय महिलाओं और बुजुर्गों की देखभाल करते हैं, लेकिन इसके साथ ही हम बच्चों की भी देखभाल करेंगे। राजस्थान में बाल विवाह एक बड़ी समस्या है और यहां साक्षरता दर भी काफी कम है।' उन्होंने कहा, 'हम संस्थान की सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसलिए हमने उन कमजोर वर्गों की समस्याओं को समझने की कोशिश की, जिन्हें सहयोग की जरूरत है और जहां एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में हम मिलकर सहायता, प्रशिक्षण या शोध सामग्री उपलब्ध करा सकते हैं।'

सेंटर फॉर लीगल एक्शन एंड बिहेवियर चेंज फॉर चिल्ड्रेन (सी-लैब) की प्रमुख प्रियंका ऋभु ने कहा, 'एनएलयू जोधपुर जिस तरह का काम कर रहा है, वह इस समझौते के उद्देश्यों से पूरी तरह मेल खाता है। यह समझौता अकादमिक गतिविधियों, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण तथा शोध को शामिल करता है। खासकर बाल संरक्षण, मानवाधिकार और न्याय की अवधारणा से जुड़े व्यापक दृष्टिकोण के संदर्भ में। हमने जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनाई है, उनमें बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल दुनिया में बच्चों की सुरक्षा को लेकर तेजी से विकसित हो रही बहस भी शामिल है।'

उदय होगा। महर्षि अरबिंदो ने भी भारत। गरीबी से मुक्त भारत। का इस्तेमाल रोक दिया गया। उन्होंने कराए जाते हैं।

बाल संरक्षण के क्षेत्र में सर्टिफिकेट कोर्स और शोध के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर और सी-लैब ने मिलाया हाथ

एजेंसी। नई दिल्ली

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर (एनएलयूजे) और इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन (आईसीपी) के सेंटर फॉर लीगल एक्शन एंड बिहेवियर चेंज फॉर चिल्ड्रेन (सी-लैब) ने बाल संरक्षण के क्षेत्र में शोध, सर्टिफिकेट कोर्स और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत सहयोग पर समझौता किया है। सहयोग के दायरे में डिजिटल सुरक्षा, बाल अधिकार, मानवाधिकार और न्याय से जुड़े विभिन्न विषय शामिल किए गए हैं।

समझौते का उद्देश्य कानून, तकनीक और समाज के बीच बढ़ती परस्पर निर्भरता को देखते हुए बाल सुरक्षा और मानवाधिकार के क्षेत्र में ज्ञान का विस्तार करना, अंतरविषयक शिक्षा और शोध को बढ़ावा देना तथा विभिन्न हितधारकों की क्षमता विकसित करना है। इसके तहत अकादमिक और पेशेवर सर्टिफिकेट कोर्स व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही शोध अध्ययन, प्रकाशन, ज्ञान संसाधन और अकादमिक व नीतिगत उपयोग की सामग्री तैयार की जाएगी। दोनों संस्थान कानून प्रवर्तन एजेंसियों, कानूनी पेशेवरों, शिक्षकों और नागरिक समाज संगठनों के लिए क्षमता निर्माण तथा ज्ञान के आदान-प्रदान की गतिविधियां भी संचालित करेंगे। छात्रों को इंटर्नशिप, फील्ड आधारित लर्निंग और आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव देने पर भी जोर रहेगा। इसके अलावा सेमिनार, कार्यशालाएं, सम्मेलन और व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे। संयुक्त शोध प्रस्तावों और प्रकाशनों, विषय आधारित कार्य समूहों तथा राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय अकादमिक आयोजनों के लिए भी सहयोग किया जाएगा। कानून, तकनीक, बाल सुरक्षा और मानवाधिकार से संबंधित ज्ञान भंडार और डिजिटल लाइब्रेरी विकसित करने की योजना भी है।

समझौते पर एनएलयू जोधपुर की कुलपति प्रो. (डॉ.) हरप्रीत कौर और इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन के ट्रस्टी रजत कुमार ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर कुलपति हरप्रीत कौर ने कहा कि विश्वविद्यालय सामाजिक जिम्मेदारी के तहत कमजोर वर्गों की समस्याओं को समझने और उनके समाधान में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने राजस्थान में बाल विवाह और कम साक्षरता दर जैसी चुनौतियों का भी उल्लेख किया।

सी-लैब की प्रमुख प्रियंका ऋभु ने कहा कि एनएलयू जोधपुर का काम समझौते के उद्देश्यों से पूरी तरह मेल खाता है। उन्होंने विशेष रूप से बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल दुनिया में बाल संरक्षण से जुड़ी तेजी से बदलती बहस को महत्वपूर्ण बताया।

पहले ही पता चल जाएगा कहां आ रही बाढ़, आईआईटी के शोध से बढ़ी उम्मीद

बाल संरक्षण के लिए एनएलयू जोधपुर और सी-लैब में समझौता



नई सोच एक्सप्रेस

नई दिल्ली। बाल संरक्षण के क्षेत्र में शोध, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर (एनएलयूजे) और इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन के सेंटर फॉर लीगल एक्शन एंड बिहेवियर चेंज फॉर चिल्ड्रेन (सी-लैब) ने समझौता किया है। इसके तहत डिजिटल सुरक्षा, बाल अधिकार, मानवाधिकार और बाल संरक्षण से जुड़े विभिन्न विषयों पर सर्टिफिकेट कोर्स, शोध एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समझौते के तहत छात्रों के लिए इंटर्नशिप, फील्ड आधारित लर्निंग और आउटरीच गतिविधियों के अवसर उपलब्ध कराने के साथ सेमिनार, कार्यशालाएं, सम्मेलन और व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे। साथ ही संयुक्त शोध, प्रकाशन, विषय आधारित कार्य समूह और डिजिटल लाइब्रेरी विकसित करने पर भी सहयोग होगा। समझौते पर नई दिल्ली में एनएलयू जोधपुर की कुलपति प्रो. (डॉ.) हरप्रीत कौर और इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन के ट्रस्टी रजत कुमार ने हस्ताक्षर किए। कुलपति ने कहा कि संस्थान कमजोर वर्गों की समस्याओं को समझने और उनके लिए प्रशिक्षण व शोध सामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सी-लैब की प्रमुख प्रियंका ऋभु ने कहा कि यह सहयोग बाल संरक्षण, मानवाधिकार और न्याय के क्षेत्र में अकादमिक एवं व्यावहारिक प्रयासों को मजबूत करेगा।

बाल संरक्षण के क्षेत्र में सर्टिफिकेट कोर्स और शोध के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर और सी-लैब ने मिलाया हाथ

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर (एनएलयूजे) और इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन (आईसीपी) के सेंटर फॉर लीगल एक्शन एंड बिहेवियर चेंज फॉर चिल्ड्रेन (सी-लैब) ने बाल संरक्षण के क्षेत्र में शोध, सर्टिफिकेट कोर्स और क्षमता निर्माण से जुड़ी पहल करने के लिए हाथ मिलाया है। इस सहयोग के दायरे में डिजिटल सुरक्षा, बाल अधिकार और मानवाधिकार समेत बाल संरक्षण से जुड़े विभिन्न विषय शामिल हैं।

21वीं सदी में कानून, तकनीक और समाज के बीच बढ़ती परस्पर निर्भरता को देखते हुए तथा बाल सुरक्षा और मानवाधिकार के क्षेत्र में मजबूत ज्ञान आधार, बेहतर अंतरविषयक शिक्षा एवं शोध और क्षमता निर्माण की आवश्यकता को समझते हुए, एनएलयू जोधपुर और सी-लैब ने इन क्षेत्रों में शोध, ज्ञान के विकास और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक संस्थागत सहयोग ढांचा तैयार करने पर सहमति जताई है।

इस समझौते के तहत सहयोग के पांच प्रमुख क्षेत्र तय किए गए हैं। पहला, अकादमिक और पेशेवर सर्टिफिकेट कोर्स तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। दूसरा, शोध अध्ययन, प्रकाशन, ज्ञान संसाधन और अकादमिक या नीतिगत दृष्टि से उपयोगी अन्य सामग्री तैयार करना। तीसरा, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, कानूनी पेशेवरों, शिक्षकों और नागरिक समाज संगठनों जैसे विभिन्न हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण और ज्ञान के आदान-प्रदान पर काम करना। चौथा, छात्रों की भागीदारी और उन्हें



व्यावहारिक अनुभव के जरिए सीखने के अवसर उपलब्ध कराना है, जिसमें इंटर्नशिप, फील्ड आधारित लर्निंग और आउटरीच गतिविधियां शामिल हैं। पांचवां, सेमिनार, कार्यशालाएं, सम्मेलन, व्याख्यान और ज्ञान के आदान-प्रदान से जुड़ी अन्य अकादमिक गतिविधियां आयोजित करना है।

इसके अलावा, एनएलयू जोधपुर और सी-लैब संयुक्त शोध प्रस्तावों और प्रकाशनों, विषय आधारित कार्य समूह बनाना, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, कार्यशालाओं और सेमिनारों तथा कानून, तकनीक, बाल सुरक्षा और मानवाधिकार से जुड़े ज्ञान भंडार और डिजिटल लाइब्रेरी विकसित करने के लिए भी सहयोग करेंगे। इस समझौते पर नई दिल्ली में एनएलयू जोधपुर की कुलपति प्रो. (डॉ.) हरप्रीत कौर और इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन के ट्रस्टी रजत कुमार ने हस्ताक्षर किए।

इस अवसर पर एनएलयू जोधपुर की कुलपति प्रो. (डॉ.) हरप्रीत कौर ने कहा, सरकार के निर्देश के तहत हमने राजस्थान के एक गांव को गोद लिया और वहां महिला अधिकारों से जुड़े मुद्दों को समझने और उन पर काम करने का फैसला किया। हम कमजोर और असहाय महिलाओं और बुजुर्गों की देखभाल करते हैं, लेकिन इसके साथ ही हम बच्चों की भी देखभाल करेंगे। राजस्थान में बाल विवाह एक बड़ी समस्या है और यहां साक्षरता दर भी काफी कम है। उन्होंने कहा, हम संस्थान की सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसलिए हमने उन कमजोर वर्गों की समस्याओं को समझने की कोशिश की, जिन्हें सहयोग की जरूरत है और जहां एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में हम मिलकर सहायता, प्रशिक्षण या शोध सामग्री उपलब्ध करा सकते हैं।

सेंटर फॉर लीगल एक्शन एंड बिहेवियर चेंज फॉर चिल्ड्रेन (सी-लैब) की प्रमुख प्रियंका ऋषु ने कहा, एनएलयू जोधपुर जिस तरह का काम कर रहा है, वह इस समझौते के उद्देश्यों से पूरी तरह मेल खाता है। यह समझौता अकादमिक गतिविधियों, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण तथा शोध को शामिल करता है।

बाल संरक्षण के क्षेत्र में सर्टिफिकेट कोर्स और शोध की पहल

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर और सी-लैब ने किया समझौता

राष्ट्रीय खबर

जोधपुरः नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर (एनएलयूजे) और इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन (आईसीपी) के सेंटर फॉर लीगल एक्शन एंड बिहेवियर चेंज फॉर चिल्ड्रेन (सी-लैब) ने बाल संरक्षण के क्षेत्र में शोध, सर्टिफिकेट कोर्स और क्षमता निर्माण से जुड़ी पहल करने के लिए हाथ मिलाया है। इस सहयोग के दायरे में डिजिटल सुरक्षा, बाल अधिकार और मानवाधिकार समेत बाल संरक्षण से जुड़े विभिन्न विषय शामिल हैं। 21वीं सदी में कानून, तकनीक और समाज के बीच बढ़ती परस्पर निर्भरता को देखते हुए तथा बाल सुरक्षा और मानवाधिकार के क्षेत्र में मजबूत ज्ञान आधार, बेहतर



अंतरविषयक शिक्षा एवं शोध और क्षमता निर्माण की आवश्यकता को समझते हुए, एनएलयू जोधपुर और सी-लैब ने इन क्षेत्रों में शोध, ज्ञान के विकास और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक संस्थागत सहयोग ढांचा तैयार करने पर सहमति जताई है। इस समझौते के तहत सहयोग के पांच प्रमुख क्षेत्र तय किए गए हैं। पहला, अकादमिक और पेशेवर सर्टिफिकेट कोर्स तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। दूसरा, शोध अध्ययन, प्रकाशन, ज्ञान संसाधन और अकादमिक या नीतिगत दृष्टि से उपयोगी अन्य सामग्री तैयार करना। तीसरा, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, कानूनी पेशेवरों, शिक्षकों और नागरिक समाज संगठनों जैसे विभिन्न हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण और ज्ञान के आदान-प्रदान पर काम करना। चौथा, छात्रों की भागीदारी और उन्हें व्यावहारिक अनुभव के जरिए सीखने के अवसर उपलब्ध कराना है, जिसमें इंटर्नशिप, फील्ड आधारित लर्निंग और आउटरीच गतिविधियां शामिल हैं।

जाएंगे।

----------News Room----------



बाल संरक्षण के क्षेत्र में एनएलयू जोधपुर और सी-लैब ने मिलाया हाथ

नई दिल्ली। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर (एनएलयूजे) और इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन के सेंटर फॉर लीगल एक्शन एंड बिहेवियर चेंज फॉर चिल्ड्रेन (सी-लैब) ने बाल संरक्षण के क्षेत्र में शोध, सर्टिफिकेट कोर्स और क्षमता निर्माण के लिए संस्थागत सहयोग पर सहमति जताई है।

इस पहल में डिजिटल सुरक्षा, बाल अधिकार और मानवाधिकार जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं।

समझौते के तहत अकादमिक एवं पेशेवर सर्टिफिकेट कोर्स, प्रशिक्षण कार्यक्रम, शोध अध्ययन, प्रकाशन और ज्ञान संसाधन विकसित किए जाएंगे।

कानून प्रवर्तन एजेंसियों, कानूनी पेशेवरों, शिक्षकों और नागरिक समाज संगठनों के लिए क्षमता निर्माण तथा छात्रों के लिए इंटर्नशिप और फील्ड आधारित लर्निंग के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सेमिनार, कार्यशालाएं और सम्मेलन भी आयोजित होंगे।

समझौते पर एनएलयू जोधपुर की कुलपति प्रो. (डॉ.) हरप्रीत कौर और इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन के ट्रस्टी रजत कुमार ने हस्ताक्षर किए। सी-लैब प्रमुख प्रियंका ऋभु ने कहा कि सहयोग बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, मानवाधिकार और न्याय से जुड़े उभरते मुद्दों पर शोध एवं प्रशिक्षण को मजबूत करेगा।

**** Advertisement Section. *****

बाल संरक्षण के क्षेत्र में सर्टिफिकेट कोर्स और शोध के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर और सी-लैब ने मिलाया हाथ

टू सोल्जर ▸ रायपुर



नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर (एनएलयूजे) और इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन (आईसीपी) के सेंटर फॉर लीगल एक्शन एंड बिहेवियर चेंज फॉर चिल्ड्रेन (सी-लैब) ने बाल संरक्षण के क्षेत्र में शोध, सर्टिफिकेट कोर्स और क्षमता निर्माण से जुड़ी पहल करने के लिए हाथ मिलाया है। इस सहयोग के दायरे में डिजिटल सुरक्षा, बाल अधिकार और मानवाधिकार समेत बाल संरक्षण से जुड़े विभिन्न विषय शामिल हैं। 21वीं सदी में कानून, तकनीक और समाज के बीच बढ़ती परस्पर निर्भरता को देखते हुए तथा बाल सुरक्षा और मानवाधिकार के क्षेत्र में मजबूत ज्ञान आधार, बेहतर अंतरविषयक शिक्षा एवं शोध और क्षमता निर्माण की आवश्यकता को समझते हुए, एनएलयू जोधपुर और सी-लैब ने इन क्षेत्रों में शोध, ज्ञान के विकास और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक संस्थागत सहयोग ढांचा तैयार करने पर सहमति जताई है। इस समझौते के तहत सहयोग के पांच प्रमुख क्षेत्र तय किए गए हैं। पहला, अकादमिक और पेशेवर सर्टिफिकेट कोर्स तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। दूसरा, शोध अध्ययन, प्रकाशन, ज्ञान संसाधन और अकादमिक या नीतिगत दृष्टि से उपयोगी अन्य सामग्री तैयार करना। तीसरा, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, कानूनी पेशेवरों, शिक्षकों और नागरिक समाज संगठनों जैसे विभिन्न हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण और ज्ञान के आदान-प्रदान पर काम करना। चौथा, छात्रों की भागीदारी और उन्हें व्यावहारिक अनुभव के जरिए सीखने के अवसर उपलब्ध कराना है, जिसमें इंटर्नशिप, फील्ड आधारित लर्निंग और आउटरीच गतिविधियां शामिल हैं। पांचवां, सेमिनार, कार्यशालाएं, सम्मेलन, व्याख्यान और ज्ञान के आदान-प्रदान से जुड़ी अन्य अकादमिक गतिविधियां आयोजित करना है। इसके अलावा, एनएलयू जोधपुर और सी-लैब संयुक्त शोध प्रस्तावों और प्रकाशनों, विषय आधारित कार्य समूह बनाना, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, कार्यशालाओं और सेमिनारों तथा कानून, तकनीक, बाल सुरक्षा और मानवाधिकार से जुड़े ज्ञान भंडार और डिजिटल लाइब्रेरी विकसित करने के लिए भी सहयोग करेंगे। इस समझौते पर नई दिल्ली में एनएलयू जोधपुर की कुलपति प्रो. (डॉ.) हरप्रीत कौर और इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन के ट्रस्टी रजत कुमार ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर एनएलयू जोधपुर की कुलपति प्रो. (डॉ.) हरप्रीत कौर ने कहा, ह्लसरकार के निर्देश के तहत हमने राजस्थान के एक गांव को गोद लिया और वहां महिला अधिकारों से जुड़े मुद्दों को समझने और उन पर काम करने का फैसला किया। हम कमजोर और असहाय महिलाओं और बुजुर्गों की देखभाल करते हैं, लेकिन इसके साथ ही हम बच्चों की भी देखभाल करेंगे। राजस्थान में बाल विवाह एक बड़ी समस्या है और यहां साक्षरता दर भी काफी कम है।ह्व उन्होंने कहा, ह्वहम संस्थान की सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसलिए हमने उन कमजोर वर्गों की समस्याओं को समझने की कोशिश की, जिन्हें सहयोग की जरूरत है और जहां एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में हम मिलकर सहायता, प्रशिक्षण या शोध सामग्री उपलब्ध करा सकते हैं।

सेंटर फॉर लीगल एक्शन एंड बिहेवियर चेंज फॉर चिल्ड्रेन (सी-लैब) की प्रमुख प्रियंका ऋभु ने कहा, ह्लएनएलयू जोधपुर जिस तरह का काम कर रहा है, वह इस समझौते के उद्देश्यों से पूरी तरह मेल खाता है। यह समझौता अकादमिक गतिविधियों, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण तथा शोध को शामिल करता है। खासकर बाल संरक्षण, मानवाधिकार और न्याय की अवधारणा से जुड़े व्यापक दृष्टिकोण के संदर्भ में। हमने जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनाई है, उनमें बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल दुनिया में बच्चों की सुरक्षा को लेकर तेजी से विकसित हो रही बहस भी शामिल है।


JUST RIGHTS FOR CHILDREN
Health & Safety


JUST RIGHTS
JUST RIGHTS FOR CHILDREN

सर्टिफिकेट कोर्स और शोध के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर और सी-लैब ने मिलाया हाथ

■ ईवनिंग पोस्ट, जोधपुर



नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर (एनएलयूजे) और इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन (आईसीपी) के सेंटर फॉर लीगल एक्शन एंड बिहेवियर चेंज फॉर चिल्ड्रेन (सी-लैब) ने बाल संरक्षण के क्षेत्र में शोध, सर्टिफिकेट कोर्स और क्षमता निर्माण से जुड़ी पहल करने के लिए हाथ मिलाया है। इस सहयोग के दायरे में डिजिटल सुरक्षा, बाल अधिकार और मानवाधिकार समेत बाल संरक्षण से जुड़े विभिन्न विषय शामिल हैं। 21वीं सदी में कानून, तकनीक और समाज के बीच बढ़ती परस्पर निर्भरता को देखते हुए तथा बाल सुरक्षा और मानवाधिकार के क्षेत्र में मजबूत ज्ञान आधार, बेहतर अंतरविषयक शिक्षा एवं शोध और क्षमता निर्माण की आवश्यकता को समझते हुए, एनएलयू जोधपुर और सी-लैब ने इन क्षेत्रों में शोध, ज्ञान के विकास और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक संस्थागत सहयोग ढांचा तैयार करने पर सहमति जताई है। इस समझौते के तहत सहयोग के पांच प्रमुख क्षेत्र तय किए गए हैं। पहला, अकादमिक और पेशेवर सर्टिफिकेट कोर्स तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। दूसरा, शोध अध्ययन, प्रकाशन, ज्ञान संसाधन और अकादमिक या नीतिगत दृष्टि से उपयोगी अन्य सामग्री तैयार करना। तीसरा, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, कानूनी पेशेवरों, शिक्षकों और नागरिक समाज संगठनों जैसे विभिन्न हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण और ज्ञान के आदान-प्रदान पर काम करना। चौथा, छात्रों की भागीदारी और उन्हें व्यावहारिक अनुभव के जरिए सीखने के अवसर उपलब्ध कराना है, जिसमें इंटर्नशिप, फील्ड आधारित लर्निंग और आउटरीच गतिविधियां शामिल हैं। पांचवां, सेमिनार, कार्यशालाएं, सम्मेलन, व्याख्यान और ज्ञान के आदान-प्रदान से जुड़ी अन्य अकादमिक गतिविधियां आयोजित करना है। इसके अलावा, एनएलयू जोधपुर और सी-लैब संयुक्त शोध प्रस्तावों और प्रकाशनों, विषय आधारित कार्य समूह बनाना, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, कार्यशालाओं और सेमिनारों तथा कानून, तकनीक, बाल सुरक्षा और मानवाधिकार से जुड़े ज्ञान भंडार और डिजिटल लाइब्रेरी विकसित करने के लिए भी सहयोग करेंगे। इस समझौते पर नई दिल्ली में एनएलयू जोधपुर की कुलपति प्रो. (डॉ.) हरप्रीत कौर और इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन के ट्रस्टी रजत कुमार ने हस्ताक्षर किए।

इस अवसर पर एनएलयू जोधपुर की कुलपति प्रो. (डॉ.) हरप्रीत कौर ने कहा, 'सरकार के निर्देश के तहत हमने राजस्थान के एक गांव को गोद लिया और वहां महिला अधिकारों से जुड़े मुद्दों को समझने और उन पर काम करने का फैसला किया। हम कमजोर और असहाय महिलाओं और बुजुर्गों की देखभाल करते हैं, लेकिन इसके साथ ही हम बच्चों की भी देखभाल करेंगे।

निकाला गई। सकड़ा मोटरसाइकला।

बाल संरक्षण पर शोध और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए एनएलयू जोधपुर-सी लैब में समझौता

विशेष गरिमा



जोधपुर। बाल संरक्षण, डिजिटल सुरक्षा, बाल अधिकार और मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर (एनएलयूजे) और इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन के सेंटर फॉर लीगल एक्शन एंड बिहेवियर चेंज फॉर चिल्ड्रेन (सी-लैब) ने समझौता किया है। समझौते पर नई दिल्ली में एनएलयू जोधपुर की कुलपति प्रो. (डॉ.) हरप्रीत कौर और इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन के ट्रस्टी रजत कुमार ने हस्ताक्षर किए। इसके तहत अकादमिक व पेशेवर सर्टिफिकेट कोर्स, प्रशिक्षण कार्यक्रम, संयुक्त शोध, प्रकाशन, ज्ञान संसाधन और नीति उपयोगी सामग्री तैयार की जाएगी। कानून प्रवर्तन एजेंसियों, कानूनी पेशेवरों, शिक्षकों और नागरिक समाज संगठनों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी होंगे। छात्रों को इंटर्नशिप, फील्ड आधारित लर्निंग और आउटरीच गतिविधियों के अवसर मिलेंगे। कुलपति प्रो. हरप्रीत कौर ने कहा कि संस्थान सामाजिक जिम्मेदारी के तहत कमजोर वर्गों की समस्याओं पर काम कर रहा है। राजस्थान में बाल विवाह जैसी चुनौतियों को देखते हुए बच्चों के संरक्षण के क्षेत्र में भी कार्य किया जाएगा। सी-लैब प्रमुख प्रियंका ऋभु ने कहा कि सहयोग से बाल संरक्षण, मानवाधिकार, न्याय और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर शोध व प्रशिक्षण को मजबूती मिलेगी।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक,मुद्रक एवं संपादक सुरेन्द्र शर्मा के लिए स्काईटेक प्रिंटर्स से मुद्रित एवं 11 अयो

दैनिक हिन्दी अख़बार
सच बेधड़क

08 Oct 2026

बाल संरक्षण में शोध को मिलेगी रफ्तार



बेधड़क. जयपुर। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर (एनएलयूजे) और इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन (आईसीपी) के सेंटर फॉर लीगल एक्शन एंड बिहेवियर चेंज फॉर चिल्ड्रेन (सी-लैब) ने बाल संरक्षण के क्षेत्र में शोध, सर्टिफिकेट कोर्स और क्षमता निर्माण से जुड़ी पहल करने के लिए हाथ मिलाया है। इस सहयोग के दायरे में डिजिटल सुरक्षा, बाल अधिकार और मानवाधिकार समेत बाल संरक्षण से जुड़े विभिन्न विषय शामिल हैं। समझौते के तहत सहयोग के पांच क्षेत्र तय किए गए हैं। पहला अकादमिक और पेशेवर सर्टिफिकेट कोर्स तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना तो दूसरा शोध अध्ययन, प्रकाशन, ज्ञान संसाधन और अकादमिक या नीतिगत दृष्टि से उपयोगी अन्य सामग्री तैयार करना होगा। तीसरे में कानून प्रवर्तन एजेंसियों, कानूनी पेशेवरों, शिक्षकों और नागरिक समाज संगठनों जैसे विभिन्न हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण और ज्ञान के आदान-प्रदान तो चौथे में छात्रों की भागीदारी है, जिसमें इंटर्नशिप, फील्ड आधारित लर्निंग और आउटरीच गतिविधियां शामिल हैं। पांचवां सेमिनार, कार्यशालाएं, सम्मेलन, व्याख्यान और अन्य अकादमिक गतिविधियां आयोजित करना है। एनएलयू जोधपुर और सी-लैब संयुक्त शोध प्रस्तावों और प्रकाशनों, विषय आधारित कार्य समूह बनाना, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, कार्यशालाओं और सेमिनारों तथा कानून, तकनीक, बाल सुरक्षा और मानवाधिकार से जुड़े ज्ञान भंडार और डिजिटल लाइब्रेरी विकसित करने के लिए भी सहयोग करेंगे। समझौते पर नई दिल्ली में एनएलयू जोधपुर की कुलपति प्रो. (डॉ.) हरप्रीत कौर और इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन के ट्रस्टी रजत कुमार ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर एनएलयू जोधपुर की कुलपति प्रो. (डॉ.) हरप्रीत कौर, सेंटर फॉर लीगल एक्शन एंड बिहेवियर चेंज फॉर चिल्ड्रेन (सी-लैब) की प्रमुख प्रियंका ऋभु ने भी विचार रखे।

THE EASTERN VOICE
"THE VOICE OF PEOPLE"

MoU Signed Between National Law University Jodhpur and C-LAB

The Eastern Voice Correspondent Jodhpur(Rajasthan

National Law University Jodhpur (NLUJ) and India Child Protection, through its Centre for Legal Action and Behaviour Change for Children (C-LAB), have signed a Memorandum of Understanding (MoU) to undertake research, facilitate certificate courses and capacity-building initiatives in the areas of child protection, including digital safety, child rights and human rights. Recognising the increasing interdependence of law, technology, and society in the 21st century, and the need for a stronger knowledge base, robust interdisciplinary education and research, and enhanced capacity in the fields of child safety and human rights, NLUJ and C-LAB have agreed to establish a collaborative institutional framework to promote research, knowledge development, and capacity building in these areas. This agreement covers five areas of collaboration. The first is academic and professional certificate courses, training programmes. The second is research studies, publications, knowledge resources, and other academic or policy-oriented outputs. The third is capacity building and knowledge exchange for stakeholders such as law enforcement agencies, legal professionals, educators, and civil society organisations. The fourth focuses on student engagement and experiential learning opportunities, including internships, field-based learning, and outreach activities. The fifth covers seminars, workshops, conferences, lectures, and other academic or knowledge-sharing activities. In addition, NLUJ and C-LAB will collaborate on joint research proposals and publications;thematic working groups and policy labs; national and international conferences, workshops and seminars; and knowledge repositories and digital libraries on law, technology, child safety, and human rights. The agreement was signed by NLUJ Vice Chancellor Prof (Dr) Harpreet Kaur and ICP Trustee Rajat Kumar in New Delhi. Speaking on the occasion, NLUJ Vice Chancellor Prof (Dr) Harpreet Kaur said, "Under a government mandate.



अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन जब स्वयं का जीवन खतरे में हो तो व्यावहारिक जीवन में पुरुषार्थ का अर्थ है-अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखना।

हमारी प्रोडक्शन लागत में काफी कमी आने की उम्मीद है।'

बाल संरक्षण के क्षेत्र में सर्टिफिकेट कोर्स और शोध के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर और सी-लैब ने मिलाया हाथ

दिव्य राष्ट्र ब्यूरो

जयपुर। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर (एनएलयूजे) और इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन (आईसीपी) के सेंटर फॉर लीगल एक्शन एंड बिहेवियर चेंज फॉर चिल्ड्रेन (सी-लैब) ने बाल संरक्षण के क्षेत्र में शोध, सर्टिफिकेट कोर्स और क्षमता निर्माण से जुड़ी पहल करने के लिए हाथ मिलाया है। इस सहयोग के दायरे में डिजिटल सुरक्षा, बाल अधिकार और मानवाधिकार समेत बाल संरक्षण से जुड़े विभिन्न विषय शामिल हैं। 21वीं सदी में कानून, तकनीक और समाज के बीच बढ़ती परस्पर निर्भरता को देखते हुए तथा बाल सुरक्षा और मानवाधिकार के क्षेत्र में मजबूत ज्ञान आधार, बेहतर अंतरविषयक शिक्षा एवं शोध और क्षमता निर्माण की आवश्यकता को समझते हुए, एनएलयू जोधपुर और सी-लैब ने इन क्षेत्रों में शोध, ज्ञान के विकास और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक संस्थागत सहयोग ढांचा तैयार करने पर सहमति जताई है। इस समझौते के तहत सहयोग के पांच प्रमुख क्षेत्र तय किए गए हैं। पहला, अकादमिक और पेशेवर सर्टिफिकेट कोर्स तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। दूसरा, शोध अध्ययन, प्रकाशन, ज्ञान संसाधन और अकादमिक या नीतिगत दृष्टि से उपयोगी अन्य सामग्री तैयार करना। तीसरा, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, कानूनी पेशेवरों, शिक्षकों और नागरिक समाज संगठनों जैसे विभिन्न हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण और ज्ञान के आदान-प्रदान पर काम करना। चौथा, छात्रों की भागीदारी और उन्हें व्यावहारिक अनुभव के जरिए सीखने के अवसर उपलब्ध कराना है, जिसमें इंटर्नशिप, फील्ड आधारित लर्निंग और आउटरीच गतिविधियां शामिल हैं। पांचवां, सेमिनार, कार्यशालाएं, सम्मेलन, व्याख्यान और ज्ञान के आदान-प्रदान से जुड़ी अन्य अकादमिक गतिविधियां आयोजित करना है।द्ध इसके अलावा, एनएलयू जोधपुर और सी-लैब संयुक्त शोध प्रस्तावों और प्रकाशनों, विषय आधारित कार्य समूह बनाना, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, कार्यशालाओं और सेमिनारों तथा कानून, तकनीक, बाल सुरक्षा और मानवाधिकार से जुड़े ज्ञान भंडार और डिजिटल लाइब्रेरी विकसित करने के लिए भी सहयोग करेंगे। इस समझौते पर नई दिल्ली में एनएलयू जोधपुर की कुलपति प्रो. (डॉ.) हरप्रीत कौर और इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन के ट्रस्टी रजत कुमार ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर एनएलयू जोधपुर की कुलपति प्रो. (डॉ.) हरप्रीत कौर ने कहा, 'सरकार के निर्देश के तहत हमने राजस्थान के एक गांव को गोद लिया और वहां महिला अधिकारों से जुड़े मुद्दों को समझने और उन पर काम करने का फैसला किया। हम कमजोर और असहाय महिलाओं और बुजुर्गों की देखभाल करते हैं, लेकिन इसके साथ ही हम बच्चों की भी देखभाल करेंगे। राजस्थान में बाल विवाह एक बड़ी समस्या है और यहां साक्षरता दर भी काफी कम है।' उन्होंने कहा, 'हम संस्थान की सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसलिए हमने उन कमजोर वर्गों की समस्याओं को समझने की कोशिश की, जिन्हें सहयोग की जरूरत है और जहां एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में हम मिलकर सहायता, प्रशिक्षण या शोध सामग्री उपलब्ध करा सकते हैं।' सेंटर फॉर लीगल एक्शन एंड बिहेवियर चेंज फॉर चिल्ड्रेन (सी-लैब) की प्रमुख प्रियंका ऋभु ने कहा, 'एनएलयू जोधपुर जिस तरह का काम कर रहा है, वह इस समझौते के उद्देश्यों से पूरी तरह मेल खाता है। यह समझौता अकादमिक गतिविधियों, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण तथा शोध को शामिल करता है। खासकर बाल संरक्षण, मानवाधिकार और न्याय की अवधारणा से जुड़े व्यापक दृष्टिकोण के संदर्भ में। हमने जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनाई है, उनमें बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल दुनिया में बच्चों की सुरक्षा को लेकर तेजी से विकसित हो रही बहस भी शामिल है।'





were initially unable to of almost 500,000. Visu- missing.

NLUJ, C-LAB Join Hands for Child Protection



The NEWS Bureau, Hyderabad,October 7: National Law University Jodhpur (NLUJ) and India Child Protection's Centre for Legal Action and Behaviour Change for Children (C-LAB) have signed an MoU to promote research, certificate courses and capacity-building initiatives in child protection, digital safety, child rights and human rights. The collaboration will cover academic and professional training programmes, research and publications, capacity building for law enforcement agencies, legal professionals, educators and civil society organisations, besides internships and field-based learning for students.

The two institutions will also organise seminars, workshops and conferences and develop joint research proposals, policy labs and knowledge resources on child safety, law and technology. The MoU was signed by NLUJ Vice-Chancellor Prof (Dr) Harpreet Kaur and ICP Trustee Rajat Kumar in New Delhi.""Prof Harpreet Kaur said the initiative would help address issues affecting vulnerable communities, including child marriage and low literacy in Rajasthan. C-LAB Head Priyanka Ribhu said online child safety and the evolving digital safety concerns of children would be a key focus of the partnership.

National Law University Jodhpur (NLUJ) and C-LAB join hands to conduct certificate courses and research in area of child protection



National Law University Jodhpur (NLUJ) and India Child Protection, through its Centre for Legal Action and Behaviour Change for Children (C-LAB), have signed a Memorandum of Understanding (MoU) to undertake research, facilitate certificate courses and capacity-building initiatives in the areas of child protection, including digital safety, child rights, and human rights.Recognising the increasing interdependence of law, technology, and society in the 21st century, and the need for a stronger knowledge base, robust interdisciplinary education and research, and enhanced capacity in the fields of child safety and human rights, NLUJ and C-LAB have agreed to establish a collaborative institutional framework to promote research, knowledge development, and capacity building in these areas. This agreement covers five areas of collaboration. The first is academic and professional certificate courses, training programmes. The second is research studies, publications, knowledge resources, and other academic or policy-oriented outputs. The third is capacity building and knowledge exchange for stakeholders such as law enforcement agencies, legal professionals, educators, and civil society organisations. The fourth focuses on student engagement and experiential learning opportunities, including internships, field-based learning, and outreach activities. The fifth covers seminars, workshops, conferences, lectures, and other academic or knowledge-sharing activities.In addition, NLUJ and C-LAB will collaborate on joint research proposals and publications; thematic working groups and policy labs; national and international conferences, workshops, and seminars; and knowledge repositories and digital libraries on law, technology, child safety, and human rights. The agreement was signed by NLUJ Vice Chancellor Prof (Dr) Harpreet Kaur and ICP Trustee Rajat Kumar in New Delhi. Speaking on the occasion, NLUJ Vice Chancellor Prof (Dr) Harpreet Kaur said, "Under a government mandate, we adopted a village in Rajasthan and decided to look at the issue of women's rights. We look after vulnerable women and the elderly, but at the same time we will take care of the children. Child marriage is a major problem in Rajasthan and the literacy rate is also very low.""We are dedicated to fulfilling the social responsibility of the institution, so we tried to look at vulnerable people who need support and where, as an educational institution, we can collaborate and provide assistance, training, or research materials."Centre for Legal Action and Behaviour Change for Children (C-LAB) Head Priyanka Ribhu said, "What NLUJ does fits so well with the MoU that was signed. The agreement covers academics, capacity training, and research, especially in terms of the philosophy of child protection, human rights and what it means for justice. A key point that we've agreed upon is child safety online and the evolving discourse on the digital safety of children."For more information, please contact:Jitendra Parmar8595950825